भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1866

9 दिसंबर, 2021 को उत्तर के लिए

मॉडल टेनेंसी एक्ट

1866 श्री ए. राजा:

श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का घर किराए पर लेने के लिए समग्र कानूनी ढांचे के उद्देश्य से मॉडल टेनेंसी एक्ट लाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और यह एक्ट पहले के टेनेंसी एक्ट से किस प्रकार अलग है;

(ग) क्या मसौदा विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा क्या विचार व्यक्त किये गए हैं;

(ङ) क्या यह अधिनियम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इन नियमों को लागू करने के लिए राज्यों द्वारा इन्हें अधिसूचित किए जाने की आवश्यकता है;

(छ) यदि हां, तो क्या कुछ राज्यों का प्रस्तावित एक्ट में कुछ संशोधनों के बारे में विचार करने का है और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 जून, 2021 को आदर्श किराएदारी अधिनियम (एमटीए) को अनुमोदित किया और 7 जून, 2021 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को परिचालित किया गया था ताकि वे या तो एक नया कानून बनाए या मौजूदा किराया कानूनों में उपयुक्त ढंग से संशोधन करके भावी किराएदारी हेतु इनका अनुपालन किया जा सके।

(ख): आदर्श किराएदारी अधिनियम का उद्देश्य कुशल और पारदर्शी ढंग से परिसरों के किराए को विनियमित करके, किराएदारों और मकान मालिकों दोनों के अधिकारों और उनके हितों को संतुलित और संरक्षित करते हुए किराए के आवास को बढ़ावा देना है। यह त्वरित विवाद समाधान तंत्र ढांचा प्रदान करके देश भर में किराए बाजार से संबंधित कानूनी ढांचे को तैयार करने में सहायता करेगा और इससे किराए के आवासों में निजी भागीदारी बढ़ने की भी उम्मीद है।

(ग) और (घ): जी हां। आदर्श किराएदारी अधिनियम को अंतिम रूप देते समय सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से परामर्श किया गया था। अधिनियम का मसौदा तैयार करने में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विचारों/टिप्पणियों/सुझावों का विधिवत विश्लेषण किया गया और अंतिम मसौदे में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया।

(ड.): जी हां। आदर्श किराएदारी अधिनियम राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू है।

(च) और (छ): भूमि और कालोनीकरण राज्य के विषय हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किराएदारी उनके संबंधित किराए कानूनों द्वारा शासित होती है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में आदर्श किराएदारी कानून के तर्ज पर या तो एक नया कानून बनाएं या उपयुक्त मौजूदा किराए कानूनों में संशोधन करके आदर्श किराएगदारी अधिनियम को अपनाए।

*****